

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-फ०बी०यो-2.18/2012(I)/

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार दास,
संयुक्त निदेशक (कृषि)।

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार
पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता
प्रखण्ड- पारू, (संदर्भ संख्या-00001-0309120094)
मुजफ्फरपुर।

- 2 श्री भिरंगी कुमार शर्मा
(संदर्भ संख्या-00001-100911 21137)
पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता,
प्रखण्ड- धमदाहा,
पूर्णिया।

विषय:- पूर्व में कार्यरत सांख्यिकी मित्र प्रथम वर्ष (2010-11) पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता को ASV में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि कृषि वर्ष 2010-11 के लिये चयनित सांख्यिकी मित्र (पंचायत कार्यकर्ता) का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक निर्धारित थी, लेकिन ASV के पैनेल निर्माण में न्यूनतम योग्यता इन्टरमिडिएट निर्धारित की गई है।

पूर्व में कार्यरत सांख्यिकी मित्र (पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता) को वरीयता देने के लिए उन्हें 3 (तीन) बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है।

अतः पूर्व में चयनित पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता (सांख्यिकी मित्र) को सरकारी निर्णयानुसार ASV में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त निदेशक (कृषि)।

ज्ञापांक- 2024

/पटना, दिनांक- 07/11/12

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री दीपचन्द्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक यो०३/ ज०शि०-16-3/2011-4180 दिनांक 15.10.2012 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सुदामा कुमार, IT प्रबन्धक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित। उन्हें निदेश है कि इसे निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (कृषि)।